# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वैशाली जिलान्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में भारी अनियमितता बरती जा रही है। सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं से लाभान्वितों को वंचित किया जा रहा है तथा फर्जी विपत्र बनाकर सरकारी राशि का गबन किया जा रहा है। जब लोग इसकी शिकायत करने संबंधित पदाधिकारियों के यहां जाते हैं तो उन्हें अपमानित कर झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दी जाती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित पदाधिकारियों की भी इसमें सहभागिता है। इससे आम जनता में काफी रोष एवं क्षोभ है।

अत: वैशाली जिला के सभी प्रखंडों के आंगनबाड़ी केन्द्रों की सघन उच्चस्तरीय जांच तथा सरकारी राशि को गबन करने के दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सुबोध कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 62/2017 - 286 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 16.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ समाज कल्याण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 25.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

16.02.2017
( नवल किशोर सिंह )
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा ने सर्वनारायण सिंह राजकुमार सिंह महाविद्यालय, सहरसा में जन्तु विज्ञान विभाग के उपाचार्य के पद पर कार्यरत डा. भूपेन्द्र प्रसाद सिंह का वेतन अस्वीकृत पद पर कार्यरत रहने का आरोप लगाते हुए मार्च, 2015 से बंद कर दिया है। जांचोपरांत निदेशक (उच्च शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार के ज्ञापांक- 14/एम 7-136/2015-632, दिनांक- 11.05.2016 द्वारा श्री सिंह के उक्त पद को स्वीकृत मानते हुए बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है। वेतन भुगतान संबंधी आदेश दिए हुए 6 माह बीत चुका है फिर भी स्थिति यथावत है जिससे श्री सिंह का परिवार भूखमरी के कगार पर है।

अत: मैं ध्यानाकर्षण के माध्यम से उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सर्वनारायण सिंह राजकुमार सिंह महाविद्यालय, सहरसा में जन्तु विज्ञान विभाग में उपाचार्य के पद पर कार्यरत डा. भूपेन्द्र प्रसाद सिंह के वेतन/ बकाया वेतन शीघ्र भुगतान करने के संबंध में सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सूरज नन्दन प्रसाद,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 63/2017 - 287 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 16.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 25.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

16.02.2017
( नवल किशोर सिंह )
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बेनीपट्टी थाना कांड संख्या- 151/16, दिनांक- 19.09.2016 धारा- 147/149/341/323/307/332/333/353/427/431/504/506 भा.द.वि. में बेनीपट्टी थाना अन्तर्गत ग्राम बसैठ चौक से पुपरी जाने वाली पक्की स्टेट हाईवे 52 के दक्षिण सड़क के नीचे पानी भरा जलाशय में बस चालक के लापरवाही से बस इस जलाशय में जा गिरा था, जिससे 23 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हादसा हो जाने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पीडित को अस्पताल पहुंचाया गया था साथ ही प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने के क्रम में नोक-झोंक भी हुआ था। इसी नोक'झोंक की वजह से उक्त थाना कांड में प्रशासन ने बेगुनाह व्यक्तियों को नाम दे दिया है। नामजद अभियुक्तों पर प्रशासन ने पर्यवेक्षण टिप्पणी में सही पाया है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रशासन ने स्थानीय लोगों को फंसाने के लिए साजिश किया है।

अत: सरकार से उक्त थाना कांड में किए गए पर्यवेक्षण टिप्पणी पर, जो प्रशासन के साजिश का नतीजा है, में से स्थानीय लोगों का थाना कांड से नाम हटाने हेतु ध्यानाकर्षण के माध्यम से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- दिलीप कुमार चौधरी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 64/2017 - 288 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 16.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 25.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 16.02.2017
( नवल किशोर सिंह )
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

# बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार में लम्बे समय से उच्च शिक्षा से संबंधित आयोग और बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। इससे विश्वविद्यालय सेवा आयोग और विद्यालय सेवा बोर्ड जैसी पूर्व में कार्यरत संस्था निष्क्रिय है। कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मियों की कमी के कारण छात्रों का कोई काम तय समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में छात्रों का शैक्षणिक सत्र पिछड़ता जा रहा है। दूसरी ओर राज्य में संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में नियुक्ति और सेवा शर्त्तों का निर्धारण आयोग के जिम्मे है, किन्तु कॉलेज सेवा आयोग विघटित होने से ये सभी मामले लंबित पड़े हैं। नियुक्ति से संबंधित शिकायतें भी आ रही है, वहीं अन्य राज्यों में आयोग और बोर्ड के गठन का फैसला बेहतर साबित हो रहा है।

अत: मैं सरकार से ऐसे में बिहार में आयोग और बोर्ड को पुनर्गठित करके उच्च शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- नवल किशोर यादव,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 65/2017 - 302 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 17.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 25.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

17.02.2017
( नवल किशोर सिंह )
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बेगूसराय जिलान्तर्गत सिमरिया गंगा तट सदियों से संपूर्ण मिथिलांचल, नेपाल, भूटान सहित देश के कई अन्य हिस्सों में निवास करने वाले सनातन धर्मावलम्बियों की आस्था का केन्द्र है। देश के संत महात्माओं और ज्योतिषाचार्यों ने वर्ष 2011 में यहां अर्द्धकुंभ का आयोजन किया था। मिथिला, मगध और अंग जनपद के संगम स्थल सिमरिया तट पर वर्ष 2011 में आयोजित अर्द्धकुंभ में देश के कई हिस्सों से करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई।

देश भर के संत महात्माओं और ज्योतिषाचार्यों के निर्णयानुसार इस वर्ष 2017 में सिमरिया गंगा तट पर कुंभ का आयोजन कार्त्तिक मास में सुनिश्चित है। राजधानी पटना में गुरू गोविन्द सिंह जी के जन्म के 350 वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित प्रकाश पर्व के सफल आयोजन से विश्व में बिहार का नाम रौशन हुआ। कुंभ के सफल आयोजन से भी न सिर्फ जन आस्था को एक देशव्यापी आयाम मिलेगा बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को विकास का एक अवसर मिलेगा। आवश्यकता है कि बिहार सरकार इसके सफल आयोजन हेतु अपने स्तर से व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा केन्द्र सरकार से भी सहयोग के लिए अनुरोध करे।

अत: लोक महत्व एवं आस्था के इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | ह./- रजनीश कुमार, स.वि.प. | 2. | ह./- नीरज कुमार, स.वि.प. |
| 3. | ह./- अर्जुन सहनी, स.वि.प. | 4. | ह./- दिलीप कुमार जयसवाल, स.वि.प. |
| 5. | ह./- सुमन कुमार, स.वि.प. | 6. | ह./- सुनील कुमार सिंह, स.वि.प. एवं |
| 7. | ह./- दिलीप कुमार चौधरी, स.वि.प. | | |

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 88/2017 - 423 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 15.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पर्यटन विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 25.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

15/03/17

( नवल किशोर सिंह )
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के राजकीय एवं राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रयोगशाला सहायकों को पंचम पुनरीक्षण वेतन निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 630, दिनांक- 21.01.2010 के द्वारा वेतनमान- 5000-8000 के षष्ठम पुनरीक्षित वेतनमान पे बैण्ड 9300-34800 तथा ग्रेड पे- 4200/- रुपये दिया गया था और इसी वेतनमान पर प्रयोगशाला सहायकों को मिल रहा, किन्तु विभाग के अनदेखी से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के ज्ञापांक- 547 दिनांक- 01.07.2016 के द्वारा उनका पे बैण्ड- 5200-20200 तथा ग्रेड पे- 2800/- रुपये निर्धारित किया गया तथा आदेश के आलोक में अधिक ली गई राशि की कटौती उनके वेतन से की जाने लगी। तदोपरान्त उच्च न्यायालय में दर्ज केस संख्या- 11995/16 दिनांक- 28.09.16 के न्याय निर्णय के आलोक में उनके वेतन से कटौती की राशि पर रोक लगा दी है, फिर भी कटौती जारी है, जिससे प्रयोगशाला सहायकों में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

अत: मैं सरकार से उक्त स्थिति में वर्णित निदेशालय के आदेश को न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में निरस्त करने, की जा रही कटौती बंद करने तथा वित्त विभाग के संकल्प में दिए गए वेतनमान में सहायकों का पे बैण्ड- 9300-34800 में ग्रेड पे- 4200/- रुपये दिये जाने के संबंध में सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- नवल किशोर यादव,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 118/2017 - 541 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 23.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 25.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।